प्रेस नोट **05.05.2023**

मऊ पुलिस की प्रभावी पैरवी से पाक्सो एक्ट के आरोपी को 08 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 30000 के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

श्री अविनाश पाण्डेय, पुलिस अधीक्षक मऊ के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में आज दिनांक 05.05.2023 को वाद सं0–एसएसटी 02/2016 मु0अ0सं0 915/15 धारा 376,506 भादवि व धारा 3/4 पोक्सो एक्ट थाना कोपागंज में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर सम्बन्धित अभियुक्त चन्द्रशेखर सोनकर पुत्र जितेन्द्र सोनकर निवासी काछीकला थाना कोपागंज जनपद मऊ को मा0 न्यायाधीश श्री राजवीर सिंह, विशेष न्यायालय पाक्सो प्रथम मऊ द्वारा 08 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री रामचन्द्र चौहान तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी अखण्ड कुमार गौतम थाना कोपागंज जनपद मऊ का सराहनीय योगदान रहा।

शांति भंग की आशंका में 25 व्यक्ति व एक वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 05.05.2023 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा हंसलाल निवासी लरेवा, सावन्त कुमार निवासी भागवता थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़, थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा राशिद, नईम निवासीगण पूरमोती थाना दोहरीघाट, थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा गौतम चौहान, श्यामलाल निवासीगण बकराबाद, राजेश, शिवनाथ निवासीगण समोखर, सुभाष चौहान, श्यामबहादुर, जयहिंद, प्रवीण वर्मा निवासीगण कंसो थाना हलधरपुर, थाना मधुबन पुलिस द्वारा अमजद, सूर्यभान, सलामत निवासीगण नेवादा गोपालपुर, जवाहर प्रसाद निवासी सीपाह थाना मधुबन, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा सरस्वती भारती, अंजलि, कौशल्या, दिनेश कुमार निवासीगण राघवपट्टी ख्वाजाजहांपुर, रीनू भारती, शशिकला, गुलमती, रामायन निवासीगण ककरीहार थाना कोतवाली, तारा देवी निवासी डिल्ला थाना बड़गांव जनपद गाजीपुर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी तथा थाना वारंटी अभियुक्त दिनेश पुत्र केशव निवासी परदहा थाना कोतवाली जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।